भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

राज्य सभा
अतारांकित संख्या **1305**

जिसका उत्तर मंगलवार, 01 अगस्त, 2023/10 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों की रोकथाम

1305. श्री सतीश चंद्र दूबेः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मनुष्यों और जानवरों पर जो दुष्परिणाम होते हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ख) क्या इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए इन कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने का प्रस्ताव है, क्योंकि उक्त पदार्थ जीवन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं;
(ग) यिद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क): रासायनिक उर्वरकों का मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण अनुप्रयोग करने से मानव/पशु स्वास्थ्य पर रासायनिक उर्वरकों का ऐसा कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। तथापि, विशेष रूप से हल्की संरचना वाली मृदा में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण भूजल में 10 एमजी एनओ3-एन/लीटर की अनुमत्य सीमा से अधिक नाइट्रेट संदूषण की संभावना होती है जिसका पेयजल के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जाने पर मानव/पशु स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। आईसीएआर मृदा स्वास्थ्य, पर्यावरण के खराब होने और भूजल के संदूषण को रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों के विवेकसम्मत प्रयोग को सुनिश्चित करने हेतु 4आर दृष्टिकोण अर्थात राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, राइट मोड और राइट टाइप के उर्वरक के साथ पादप पोषकतत्वों के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक आदि) के मिले-जुले प्रयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश करता है।

आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान करता है, फ्रंट-लाइन प्रदर्शनों आदि का आयोजन करता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए क्रमशः जीएसआर 446 (ई), दिनांक 13 जून, 2011 और जीएसआर 1607 (ई) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 के जरिये कीटनाशक और उर्वरक उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन डिस्चार्ज मानकों को अधिसूचित किया है।

सभी कीटनाशक और उर्वरक उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 और प्राधिकरण खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016 के तहत अलग-अलग उद्योगों को प्रचालन हेतु जारी की गई अपनी सहमति में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा निर्धारित की गई किन्हीं अन्य विशिष्ट शर्तों के अलावा अधिसूचित उत्सर्जन और बहिस्राव और उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना आवश्यक है। तदनुसार, प्रचालन की सहमति में निर्धारित अधिसूचित बहिस्राव एवं उत्सर्जन निर्वहन मानकों/शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहने वाले उद्योगों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)/एसपीसीबी/पीसीसी उद्योगों पर कार्रवाई करते हैं।

सीपीसीबी ने उर्वरक और कीटनाशक उद्योगों सहित अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को सीपीसीबी के लिए रियल टाइम डेटा कनेक्टिविटी के साथ ऑनलाइन सतत बहिस्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करने के निर्देश जारी किए हैं। सीपीसीबी ओसीईएमएस अथवा ऑफलाइन ओसीईएमएस की अत्यधिक चेतावनियों के आधार पर उद्योगों का नियमित निरीक्षण करता है। निरीक्षणों की टिप्पणियों के आधार पर सीपीसीबी चूककर्ता उद्योगों के विरुद्ध मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई करता है।

कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) को केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड- पंजीकरण समिति (सीआईबी-आरसी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है जो जैव-प्रभावकारिता और पादप विषाक्तता अध्ययनों के लिए कीटनाशकों के परीक्षण हेतु कीटनाशकों के उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनियामक एजेंसी है। आईपीएफटी इनके पंजीकरण से पहले प्रायोजित परियोजनाओं के लिए इन अध्ययनों के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

रसायन एवं पेट्रोरसायन, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय आईपीएफटी, कीटनाशकों के उपयोगकर्ता एवं पर्यावरण अनुकूल नई पीढ़ी के तथा जैव-वानस्पतिक प्रकारों पर अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अनुकूल जैव-वानस्पतिक कीटनाशकों को विकसित करने के एक उद्देश्य के रूप में, हम देश में वाणिज्यिक उत्पादन और प्रयोग के लिए जैव-कीटनाशक विकसित कर रहे हैं।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन अभियान का समर्थन करना है।

उक्त स्कीम के अंतर्गत, यह प्रस्ताव है कि किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करके किसी विशेष वित्तीय वर्ष में बचाई गई उर्वरक राजसहायता का 50% उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को अनुदान के रूप में दिया जाएगा। पीएम-प्रणाम स्कीम तीन वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) की अवधि के लिए लागू की जा रही है। सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र उक्त योजना के तहत पात्र हैं।

(ख) से (घ): सीपीसीबी, एसपीसीबी और पादप संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के सदस्यों वाली एक समिति ने कीटनाशकों की बेहतर निगरानी के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया और 26.06.2020 को मूल आवेदन संख्या 46/2020 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेश का अनुपालन करते हुए कीटनाशकों की निगरानी बढ़ाने के लिए सभी एसपीसीबी/पीसीसी को सूचित किया।

आईपीएफटी नोडल एजेंसी में से एक है और "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी" नामक परियोजना में शामिल है, जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2006 से कार्यान्वित किया जा रहा है। खाद्य वस्तुओं के उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों की निगरानी के उद्देश्य वाली यह परियोजना हरियाणा राज्य स्तर पर कार्यान्वित की जा रही है। इसके अवशेष विश्लेषण के लिए स्थानीय बाजार और कृषि खेतों से नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। इसके लिए अनुसूची के अनुसार समय-समय पर भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

आईपीएफटी पूरे देश में कृषक समुदाय की बेहतरी और आय में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। 2022-23 के दौरान, देश भर में ऐसे दस (10) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं के दौरान किसानों को कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से फसलों के साथ-साथ मानव जीवन को होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। जिससे कृषि फसलों में कीटनाशकों के प्रयोग के दौरान जोखिम और स्वास्थ्य खतरों को कम करने में किसानों को निश्चित रूप से मदद मिलेगी। किसानों के लिए संचालित कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

i. फसल संरक्षण और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए शून्य बजट आर्गेनिक खेती में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौधों/संसाधनों पर आधारित वानस्पतिक कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
ii. सब्जियों की फसलों में फसल संरक्षण के लिए कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण प्रयोग तथा नई पीढ़ी के प्रकारों का अनुप्रयोग।

आईपीएफटी ने 2023-24 के दौरान किसानों के लिए 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है और ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कृषक समुदाय की खेत स्तर पर अधिक से अधिक भागीदारी होगी।

*****